Implied Conditions & Warranties (Part-2)

(a) प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त होने की शर्त [S. 16(1)] -

यदि क्रेता माल को क्रय करने का उद्देश्य विक्रेता को बता देता है और क्रेता, विक्रेता के कौशल एवं विवेकबुद्धि पर भरोसा करता है और माल ऐसा है जिसे विक्रेता अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में बेचता है तो यह संविदा में विवक्षित शर्त हो जाती है कि माल क्रेता के उपरोक्त प्रयोजन (उद्देश्य) के लिए युक्तियुक्त योग्य या उपयुक्त होगा और ऐसा न होने पर क्रेता माल वापस करके भुगतान की गई कीमत वसूल कर सकता है।

परन्तु विनिर्दिष्ट चीज के पेटेन्ट नाम या व्यापार नाम से विक्रय की संविदा में उस चीज के किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए योग्य होने के बारे में कोई विवक्षित शर्त नहीं होती है। अर्थात जब क्रेता, विक्रेता से किसी पेटेन्ट (Patent) नाम या व्यापार नाम (Trade Mark) से वस्तु मांगता है और विक्रेता उसे उस पेटेन्ट नाम या व्यापार नाम की वस्तु दे देता है तो उसका दायित्व समाप्त हो जाता है ऐसी स्थिति में वस्तु क्रेता के प्रयोजन के लिए उपयुक्त न भी हो तो विक्रेता का कोई दायित्व नहीं होगा।

Case- Priest v Last, 1903 —

इस वाद में क्रेता ने विक्रेता जो कि एक केमिस्ट था से एक गर्म पानी की बोतल मांगी परन्तु विक्रेता ने उसे

अमेरिकन रबर बोतल यह कह कर दिया कि यह गीबार्म पानी की उपयुक्त बोतल है। विक्रेता के कहने पर क्रेता ने वह बोतल ले लिया। प्रयोग किये जाने पर बोतल फट गई जिससे क्रेता की पत्नी को चोट पहुँची। न्यायालय ने कहा अमेरिकन रबर की बोतल गर्म पानी के प्रयोग हेतु उपयुक्त नही थी, विक्रेता को प्रतिकर के लिए दायी ठहराया।

(b) वाणिज्यिक (Merchantable) क्वालिटी की शर्त [16(2)] —

जहाँ कि माल वर्णानानुसार ऐसे विक्रेता से क्रय किया जाता है जो उसी वर्णन के माल का व्यापार करता है तो यह विवक्षित शर्त होगी कि माल 'वाणिज्यिक क्वालिटी' का होगा। 'वाणिज्यिक क्वालिटी' की परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है। यदि माल क्रेता ने उपभोग (इस्तेमाल) के लिए क्रय किया है तो माल वाणिज्यिक क्वालिटी का तब कहा जायेगा जबकि वह उस प्रयोजन हेतु, वह प्रायः प्रयोग किया जाता है जैसे - यदि क्रेता घड़ी क्रय करता है और घड़ी सही समय नहीं देती है तो उसे वाणिज्यिक क्वालिटी का नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार यदि माल विक्रय के उद्देश्य से बेचा जाता है तो वह वाणिज्यिक क्वालिटी का तब कहा जायेगा जब उसे पुनः बेचा जा सके।

यदि माल ऐसा है जो देश के कानून का उल्लंघन करता है और विधि द्वारा वर्जित है तो वह वाणिज्यिक क्वालिटी का नही माना जायेगा।

क्रेता द्वारा माल की परीक्षा या जाँच का प्रभाव [S. 16(2)] -

अधिनियम की धारा 16(2) से यह स्पष्ट है कि यदि क्रेता ने माल क्रय करते समय माल की परीक्षा करली तो उन त्रुटियों के बारे में, जो ऐसी परीक्षा से प्रकट हो जानी चाहिए थी, कोई विवक्षित शर्त नहीं होगी। परन्तु यदि त्रुटि ऐसी है जो जाँच से प्रकट नहीं नहीं होगी तो विक्रेता दायी होगा।

Example-1 क्रेता ने विक्रेता से कपड़ा क्रय किया जो कि फुलाया था। कपड़ा सड़ा हुआ निकलता है अर्थात वाणीज्यिक क्वालिटी का नहीं था। फिर भी विक्रेता दायी नहीं होगा। त्रुटि ऐसी है जो जाँच से पकड़ी जा सकती है।

Example-2- क्रेता ने विक्रेता से एक कार खरीदी। प्रयोग करने पर कार का इंजन खराब निकलता है यहाँ विक्रेता दायी होगा क्योंकि त्रुटि ऐसी है जो जाँच करने पश्चात भी क्रेता द्वारा पकड़ी नहीं जा सकती थी।

(c) व्यापार की प्रथा द्वारा संलग्न विवक्षित शर्तें [Sec. 16(3)] -

उपधारा के अनुसार - माल की क्वालिटी के बारे में या अनेक विशेष उद्देश्य हेतु उपयुक्त होने के बारे में विवक्षित शर्त या वारण्टी व्यापार की प्रथा द्वारा उपाबद्ध या संलग्न हो सकती हैं। परन्तु प्रथा अयुक्तियुक्त नहीं होनी चाहिए और संविदा की अभिव्यक्त शर्तों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

(d) अभिव्यक्त शर्तें विवक्षित शर्त को नकार नहीं सकती [S. 16(4)] -

अधिनियम की धारा 16(4) के अनुसार माल के सम्बन्ध में कोई भी अभिव्यक्त शर्त या वारण्टी इस अधिनियम द्वारा दी गई विवक्षित शर्त या वारण्टी को खत्म नहीं कर सकती है जबतक कि वह उससे असंगत न हो।

(4). नमूने द्वारा विक्रय में शर्त (Sec. 17) –

माल-विक्रय अधिनियम की धारा -17 के अनुसार विक्रय संविदा उस दशा में नमूने के अनुसार कही जाती है जबकि संविदा में अभिव्यक्त या विवक्षित शर्त हो कि माल नमूने के आधार पर बेचा जायेगा।

नमूने के अनुसार विक्रय की संविदा में निम्नलिखित शर्तें रहती हैं –

(i) माल का प्रपुंज (Bulk) क्वालिटी में नमूने के सदृश होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो क्रेता माल को अस्वीकार कर सकता है लेकिन यदि ऐसी स्थिति में क्रेता माल को या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है और विक्रय संविदा अविभाजनीय नहीं है शर्त के भंग को वारंटी का भंग माना जायेगा क्रेता केवल प्रतिकर की मांग कर सकता है किन्तु माल को अस्वीकार नहीं कर सकता है जब तक कि तत्प्रतिकूल निबंधन न हो।

(ii) नमूने द्वारा विक्रय की संविदा में यह भी शर्त होती है कि क्रेता को माल के प्रपुंज का नमूने से मिलान का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके उल्लंघन पर क्रेता माल को अस्वीकार कर सकता है।

(iii) नमूने द्वारा विक्रय में यह भी शर्त होती है कि माल अवाणिज्यिक बनाने वाली ऐसी त्रुटि से मुक्त होना चाहिए जो नमूने की युक्तियुक्त परीक्षा से प्रकट न होती हो अर्थात माल में गुप्त दोष नहीं होना चाहिए जिससे माल अवाणिज्यिक हो गया है तो क्रेता माल वापस कर सकता है परन्तु प्रत्यक्ष दोष जो कि जाँच से स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति में क्रेता द्वारा माल क्रय करने के पश्चात उसे अस्वीकार नहीं कर सकता है।

Implied Warranties [Secs 14 (b) & (c)]

माल-विक्रय अधिनियम की धारा 14 (b) तथा (c) में विवक्षित प्रत्याभूति से सम्बन्धित उपबन्ध किये गये हैं जो कि निम्नलिखित हैं।

1. शान्त कब्जे के बारे में प्रत्याभूति (Warranty as to quiet Possession) S.14(b)-

प्रत्येक विक्रय की संविदा में जब तक उसके विरुद्ध कोई विशेष अनुबन्ध न हो यह विवक्षित प्रत्याभूति रहती है कि क्रेता माल पर शान्तिपूर्वक (निर्बाध) कब्जा रखेगा और शान्तिपूर्ण ढंग से उसका उपभोग करेगा अर्थात् क्रेता को सुरक्षित कब्जा मिलेगा और उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आयेगी। यदि विक्रेता से उच्च अधिकार रखने वाला, क्रेता के आधिपत्य में दखलन्दाजी करता है तो उसे प्रत्याभूति का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिए विक्रेता दायी होगा।

Case- Rowland Vs. Divall, 1923 -

उपरोक्त वाद में वादी ने प्रतिवादी (विक्रेता) से एक कार खरीदी। बाद में मालूम हुआ कि कार चोरी की थी और इसलिए वास्तविक स्वामी ने कार वादी (क्रेता) से कार बरामद करवा ली। वादी ने दावा किया। न्यायालय ने धारित किया कि वादी कार की पूरी कीमत वसूल करने का हकदार है भले ही कार उसने कुछ महीनो के लिए प्रयोग की हो।

2. प्रभाव से मुक्त होने के बारे मे प्रत्याभूति - (Warranty as to Freedom from Charge S.14(c) -

किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में माल के विक्रय की संविदा में इसकी विवक्षित वारण्टी

यह रहती है कि माल किसी तृतीय पक्ष के प्रति ऐसे ऋण-भार से मुक्त होना चाहिए जो संविदा के समय घोषित नहीं किया गया था और जिसका क्रेता को उस समय कोई ज्ञान नहीं था।

3. समउपयुक्तता या गुणवत्ता के बारे में प्रत्याभूति (Warranty as to Fitness or quality) -

किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयुक्तता या श्रेणी के बारे में प्रत्याभूति व्यापार की प्रथा द्वारा जोड़ी जा सकती है।